

सं.7(2)/ई.कोऑर्ड/2020

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 13th दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कैलेंडर की छपाई के संबंध में।

दिनांक 02.09.2020 के का.ज्ञा.सं.7(2)/ई.कोऑर्ड/2020 में आंशिक संशोधन करते हुए अब से मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों और सरकार की दूसरी संस्थाओं के द्वारा कैलेंडर की छपाई की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। पूर्वकथित का.ज्ञा. में दिए गए अनुदेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

इसे वित्त सचिव और सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(सुनील कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी सचिव

प्रतिलिपि:

1. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
2. कैबिनेट सचिव
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग
4. सभी वित्तीय सलाहकार